मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-7

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई, 2006 (श्रावण 3, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि अब प्रश्नों का द्वितीय चक्र शुरू होगा पूर्व में अनुपस्थित माननीय सदस्यों के नाम क्रमशः पुकारे जायेंगे, अगर वे उपस्थित होगें तो अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकेंगे। द्वितीय चक्र में एक प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 105 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 133 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि आज की प्रश्नोत्तर सूची में शामिल सभी 25 तारांकित प्रश्नों का दूसरा चक्र भी निर्धारित समय से पूर्व पूरा होने के कारण कार्यसूची में निहित अन्य विषय लिया जाता है।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने प्रदेश में लघु कारखाना व्यावसायिओं को थ्री फेज विद्युत बिल फिक्स चार्ज से अधिक का दिये जाने,

(2) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने ग्वालियर के जनकताल में गणेश विसर्जन के दौरान पानी में दो बच्चों को डूबने से बचाते हुये एक व्यक्ति के मरोणोपरांत पुरस्कार न दिये जाने,

(3) डॉ. आई. एम. पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले में वन समितियों में लगे सुरक्षा कर्मियों को कई माह से वेतन न मिलने, तथा

(4) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने शहडोल जिले के वन परिक्षेत्र पश्चिम ब्यौहारी के रेंजर द्वारा मजदूरों का भुगतान न किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

(श्री रामनिवास रावत, श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्री सत्यदेव कटारे एवं श्री अजय सिंह सदस्य सहित कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य अपनी-अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आ गये और नारेबाजी करते रहे)

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004,

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2005-2006, तथा

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1283-एक-(8) 54 -03- दो- अड़तालीस, दिनांक 1 जुलाई, 2006 पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

(व्यवधान होने के कारण श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य की सीधी जिले में कृषकों को अमानक स्तर के बीज एवं कीटनाशकक दवाओं का वितरण किये जाने, तथा सर्वश्री निशिथ पटेल, राजनारायण सिंह पूरनी, सत्यदेव कटारे, सदस्य ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पी.ई.टी. एवं पी.एम.टी. की परीक्षाएं विलंब से आयोजित किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्रस्तुत नहीं हो सकी)

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सभापति ने विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) सुश्री निर्मला भूरिया, सभापति ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, की भिण्ड जिले के -

(क) मुख्य मार्ग दबोह की मरम्मत कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम बन्थरी में पेयजल व्यवस्था कराये जाने,

(2) श्री संजय शर्मा, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम कोड़िया एवं सड़ूमर के मध्य लेंडी नदी पर पुल बनाये जाने, तथा

(ख) ग्राम तेंदूखेड़ा व सिहोरा में महाविद्यालय खोले जाने,

(3) श्री हरीवल्लभ शुक्ला, सदस्य की भोपाल शहर के वार्ड क्र.-62 में बायपास रोड पर पुल बनाये जाने,

(4) श्री ताराचन्द गोयल, सदस्य की उज्जैन जिले के -

(क) तराना नगर स्थित शासकीय महाविद्यालय का भवन बनाये जाने,

(ख) तिलावद-कचनारिया मार्ग से तराना पहुंच मार्ग के मध्य छोटी काली सिंध नदी पर पुल बनाये जाने, तथा

(ग) तराना से बगोदा तक सड़क बनाये जाने,

(5) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के -

(क) ग्राम दांतरदा में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने,

(ख) ग्राम अलापुर में हाई स्कूल खोले जाने,

(ग) श्योपुर-खतोली मार्ग का चौड़ीकरण एवं मरम्मत कराये जाने, तथा

(घ) ग्राम बड़ोदा-मागरोल-शलापट्टा नदी तक सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने,

(6) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य की होशंगाबाद जिले के -

(क) ग्राम बैराखेड़ी से बम्होरी तक पहुंच मार्ग बनाये जाने,

(ख) ग्राम बैराखेड़ी से बमूरिया तक सड़क बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम बैराखेड़ी से घुघवासा तक सड़क बनाये जाने,

(7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम असाटीपुरा से किशोरीपुरा तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ख) पृथ्वीपुर को खेलग्राम घोषित किये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

8. वक्तव्य

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने दिनांक 10 फरवरी, 2005 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्रमांक 1121) एवं दिनांक 17 फरवरी, 2005 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 382) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

9. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकृति

श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सभापति विशेषाधिकार समिति ने प्रस्ताव किया कि :-

यह सदन आज दिनांक 25.7.2006 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर विचार करे तथा इसे स्वीकार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 21 सन् 2006),

(2) श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006),

सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किये।

(3) श्री रामपाल सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निराश्रितों एव निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 13 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3,4,5,6 एवं 7 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री रामपाल सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निराश्रितों एव निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 13 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री, गृह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 14 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री गृह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 14 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य गर्भगृह से नारेबाजी करते रहे)

(5) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री, गृह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश धर्म स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री, गृह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश धर्म स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(6) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 17 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3,4,5,6 तथा 7 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 17 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(8) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 19 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 11 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 19 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(9) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3,4,5,6 तथा 7 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

11. नियम 142-क के अधीन अल्पकालीन चर्चा

(अध्यक्ष महोदय ने प्रदेश की अशासकीय शिक्षण शालाओं में अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर शिक्षा का अवैध शुल्क वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य को चर्चा उठाने के लिए आसंदी से पुकारा गया परन्तु लगातार व्यवधान होने के कारण चर्चा प्रारम्भ नहीं हो सकी)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य गर्भगृह से अपनी अपनी बात कहते रहे और नारेबाजी भी करते रहे)

लगातार व्यवधान होने के कारण 11 बजकर 35 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 26 जुलाई, 2006 (श्रावण 4, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.